

बिहार विधान-सभा वाद-वृत्त ।

(भाष—1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

शुक्रवार, तिथि 31 अगस्त, 1984 ई० ।

विषय-सूची ।

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्पसूचित प्रश्नोत्तर संख्या—18 ।	4—6
सारांकित प्रश्नोत्तर संख्या—1285, 2112, 2114, 2116,	7—26
2119, 2121, 2122, 2223,	
2124, 2128 एवं 2132 ।	...
परिशिष्ट—(प्रश्नों के लिखित उत्तर)—	27—50
दैनिक निबंध ।	51

टिप्पणी—किसी मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपने भाषण को संक्षेपित नहीं किया है ।

अंचलाधिकारी का पदस्थापन ।

2212. श्री संकटेश्वर सिंह—क्या मंत्री, रात्रस्व विभाग, यह बतलाने का कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि विगत दो वर्षों से गतामू जिला के पिछड़ा प्रखंड मनातू में अंचल अधिकारी का स्थान रिक्त है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वांकारात्मक हैं तो क्या सरकार अविलम्ब अंचलाधिकारी की पदस्थापना करना चाहता है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

श्री लहहन चौधरी—(1) वस्तुस्थिति यह है कि मनातु अंचल में अंचलाधिकारी के रूप में श्री द्वाका पासवान का पदस्थापन प्रधिसूचना सं० 1238, दिनांक 30 जून, 1983 द्वारा किया जा चुका है। श्री पासवान को मनातू में कार्य भार ग्रहण कराने को कार्रवाई की जा रही है।

(2) खंड (1) के उत्तर के प्रालोक में प्रश्न ही नहीं उठता।

 ऋण मुक्त करा।

2214. श्री राम लषण राम 'रमण'—क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य सहकारा भूमि विकास बैंक प्रधान कार्यालय, पटना के पत्रांक-9/45, दिनांक 30 मार्च, 1981 के प्रालोक में क्षेत्रीय प्रबंधक, दरभंगा ने अपने पत्रांक 543/68, दिनांक 2 फरवरी, 1983 द्वारा शाखा प्रबंधक, भूमि विकास बैंक, जयनगर के साथ ही प्रान्त प्रधानस्य सात अन्य शाखाओं का भा यह निदेश दिया था कि 12 मार्च, 1982 तक नदियों के कटाव से प्रभावित ऋणियों की सूची निश्चित रूप से भेजी जाय;

(2) क्या यह बात सही है कि शाखा प्रबंधक, जयनगर ने पत्रांक 218, दिनांक 1 मार्च, 1982 द्वारा कमला नदी के कटाव से पाड़ित 10 ऋणियों का नाम सभी प्रावश्यक कागजातों के साथ क्षेत्रीय कार्यालय, दरभंगा को भेजा, यदि हाँ, तो सरकार कब तक कटाव प्रभावित ऋणियों की ऋण मुक्त कराने का विचार रखती है, और नहीं, तो क्यों ?

श्री बृद्धदेव सिंह—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि क्षेत्रीय प्रबंधक, भूमि विकास बैंक, दरभंगा ने अपने पत्र संख्या 549, दिनांक 2 मार्च, 1982 के माध्यम से शाखा प्रबंधक, जयनगर के साथ ही अन्य सात शाखाओं को दिनांक 12 मार्च, 1982 तक नदियों के कटाव से प्रभावित ऋणियों की सूची भेजने का निदेश दिया था।

(2) उत्तर प्रस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि शाखा प्रबंधक, जयनगर ने पत्रांक 218, दिनांक 1 मार्च, 1982 द्वारा पन्द्रह ऋणियों की सूची अवश्य कागजात के साथ जिला प्रबंधक, मधुबनी के पास इस बात का जानकारी हेतु भेजी थी कि कटाव के कारण किन-किन ऋणों सदस्यों से वसूली बाधित हो रही है।

(3) जहाँ तक कटाव से पीड़ित ऋणियों को ऋण पुनर्दान करने का प्रश्न है, बैंक के लिए सम्भव नहीं है, क्योंकि बैंक स्वयं ऋण पत्र द्वारा कर्ज लेकर कृषकों को कर्ज देता है।

नियुक्ति के सम्बन्ध में कार्रवाई।

2225. श्री युगेश्वर झा—क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला केन्द्रीय अधिक्षेप का निबंधन सितम्बर, 1981 में हुआ था ;

(2) क्या यह बात सही है कि निबंधन की तिथि के बाद सहायकों एवं अनुसेवकों के पद पर बिना विज्ञापन निकाले एवं सरकारी नियमों का उल्लंघन कर अपने सगे-सम्बंधियों को नियुक्ति कर ली गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार अवैध नियुक्ति के संबंध में कौन-सी कार्रवाई करने जा रही है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

श्री बृद्धदेव सिंह (1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(3) बैंक द्वारा की गई अनियमित नियुक्तियों को रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है।